



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112022-240063  
CG-DL-E-05112022-240063

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4929]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944

No. 4929]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5148(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऑफिस ऑफ़ थे डिप्टी कमिश्नर, तिनसुकीआ, असम, इंडिया, ७८६ १२६ (NH38) के कि.मी 5.1 से 53 असम राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH38 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (भूमि अभिग्रहण) ए.सी.एस.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH38 के	असम	तिंसुकिअ	मार्घेरिता	1 नंबर 2 गोलाई गांव

		कि.मी. 5.1 से 53 तक			
--	--	---------------------------	--	--	--

[फा. सं. JRT/NHIDCL/GM/DPR/VSPL/PKG-IV/87/2018/3a ]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2022

**S.O. 5148(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 5.1 to Km. 53 of Office of the Deputy Commissioner, Tinsukia, Assam, India - 786 126 (NH38) in the State of ASSAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ASSAM

**SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. NH38 in the State of ASSAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional deputy commissioner (Land acquisition), ACS ( )	5.1KM To 53KM	ASSAM	TINSUKIA	Margherita	1 No.2 Golai Gaon

[F. No. JRT/NHIDCL/GM/DPR/VSPL/PKG-IV/87/2018/3a ]

RAJESH GUPTA, Director